न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 17/2019/अपील

1. कासमखां पुत्र फत्तुखा } समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासी ग्राम गंगापुरा
2. नत्थूखां पुत्र वारस खा } तहसील रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्टस

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ शेखावाटी
2. दानवीरसिंह } पुत्रगण कुम्भाराम समस्त जाति जाट
3. विनोद कुमार } निवासीगण गंगापुरा
4. मनोज कुमार } तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
5. सुमित्रा पुत्री कुम्भाराम,
6. भगवानी पत्नी कुम्भाराम
7. प्रभुदयाल पुत्र गीदाराम
8. मावली पत्नी गीदाराम
9. मनरी } पुत्रियां गीदाराम
10. श्याना }
11. उस्मानखां } पुत्रगण वारस खां जाति मुसलमान कायमखानी
12. सलमखा } नि. गंगापुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)

--रेस्पोडेन्टस

उपस्थित:--

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.09.2017 न्यायालय तहसीलदार रामगढ शेखावाटी प्रकरण संख्या 15/14 अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी सरकार बनाम वारस खां वगै.

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

निर्णय

दिनांकः 23 जुलाई, 2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील वकील **श्री सागरमल धायल** द्वारा अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के प्रकरण संख्या 15/2014 अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी सरकार बनाम वारस खां वगै. आदेश दिनांकित 04.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

(1) अपीलांट संख्या 1 के खाते कब्जे, काश्त का खेत खसरा नम्बर 4/2 तथा अपीलांट संख्या 2 व उनके भाईयों की पैतृक हक, अधिकार का खेत 4/1/2 ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ शेखवाटी जिला सीकर की तन मे अवस्थित है। जिनमे से होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ता 10 के खेत खसरा नम्बर 85, 84/2, 86/1 तन ग्राम सवाई लक्ष्मणपुरा में आवागमन हेतु कभी कोई रास्ता अवस्थित नहीं रहा है। उनके द्वारा ग्राम पंचायत खोटिया तथा अधिनस्थ तहसीलदार महोदय रामगढ शेखावाटी के समक्ष झूठी शिकायत रास्ते बाबत की गई। जिसके तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सबूत साक्ष्य लिये गये, परन्तु बिना अपीलांट संख्या 2 के पिता वारस खां जो कि अपीलाधीन प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थी पक्षकार था के वारिसों को रिकार्ड पर लिये बिना तथा बिना बहस के सुने बिना ही दिनांक 04.09.2017 को एक अस्पष्ट एवम गोलमाल आदेश पारित कर दिया गया।

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ शेखावाटी जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2017 विरूद्ध कानून तथा विरूद्ध पत्रावली है। अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ तहसीलदार रामगढ शेखावाटी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को बहस किये जाने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। जबकि बहस सुने बिना न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। इस कारण से अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्तनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय कानूनन निर्णय की श्रेणी में ही नहीं आता है, क्यूँकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत पारित किये जाने वाले निर्णय में कारण व आधार अंकित किया जाना आदेशात्मक होता है, परंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ शेखावाटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कारण व आधार का उल्लेख ही नहीं है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन ही धारा 251 की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि आम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण धारा 151 की परिधि में नहीं आते है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवम मौखिक साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण, मूल्यांकन ही नहीं किया गया, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार तथाकथित आवेदकगण के खेतों में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवम तथाकथित रास्ता कभी मौजूद रहा हो भी प्रमाणित नहीं है। न ही यह तथ्य ही साबित हुआ है कि कब तथाकथित रास्ता बंद किया गया, इसके बावजूद चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया गया होने के कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्तनीय है।

(8) अपीलाधीन आदेश एकदम गोलमाल एवम अस्पष्ट है, अपीलांटस के खेत में किस स्थान पर रास्ता मान्य किया गया है, यह ही अंकित नहीं है, इसलिए वर्तमान में रेस्पो. संख्या 2 ता 10 बसाजिश रेस्पो.सं. 1 अपीलांटस के खेत खसरा नम्बर 4/1/2 व 4/2 तन ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर मे से अपीलाधीन आदेश दिनांकित 04.09.2017 की क्रियान्विति की आड में मनमाने स्थान पर मनमानी चौडाई का रास्ता निकालने पर आमादा फसाद हो रहे है, जिनका उन्हे कोई कानूनी हक, अधिकार हासिल नहीं है। यदि वे अपने कुचेष्टाओं में कामयाब हो जाते है तो अपीलांटस के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होकर ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

क्षति पूर्ति भविष्य में किसी भी रूप में किया जाना संभव नहीं हो पायेगा, इसलिए न्यायहित में अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2017 की क्रियान्विति तादौराने अपील स्थगित रखा जाना उचित, आवश्यक एवम न्याय संगत है।

(9) अपीलांट एवम रेस्पो. संख्या 11 व 12 के हित समान है, परंतु वर्तमान में रेस्पो. संख्या 11 व 12 यहां नहीं होने के कारण उन्हे बतौर रेस्पो० औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

(10) अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2017 निरस्त फरमाई जावे तथा अपीलाधीन आवेदन अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. की ओर से वकील उपस्थित हुए जवाब पेश किया।

3. जवाब के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

(1) अपीलाधीन आदेश पूर्णतया स्पष्ट है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक 04.10.2014 को प्राप्त की थी। जिसके साथ नक्शा संलग्न है। उक्त नक्शा में खसरा संख्या 4/2 की उत्तरी तरफ, डोटेड लाईन का रास्ता अंकित है उक्त रास्ता खसरा संख्या 4/1/2 की उत्तरी पूर्वी कुंट में प्रवेश करके खसरा संख्या 84/2 व 85 की दक्षिणी सीमा में प्रवेश करता है उक्त रास्ता के सम्बन्ध में ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। उक्त डोटेड लाईन का रास्ता खसरा संख्या 5 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ आवागमन का सार्वजनिक रास्ता में से जवाबदातागण की कृषि भूमि में सदैव से प्रचलन में रहा है। जिसे खसरा संख्या 4/2 व 4/1/2 के खातेदारान द्वारा अवरूद्ध कर दिया जाने के कारण ही दिनांक 30.01.2014 को तहसीलदार महोदय रामगढ शेखावाटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जवाबदातागण की कृषि भूमि में आवागमन

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

का इस मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग प्रचलन में नहीं है नाही वैकल्पिक मार्ग अवस्थित हैं जिस कारण यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित किया गया तो जवाबदातागण को इतनी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती कभी भी नहीं हो सकेगी। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समरी प्रोसिडिंग के तहत निस्तारित होने का प्रकरण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णित किया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स ने अपील प्रस्तुत करके स्थगन आवेदन प्राप्त करना चाहा है परन्तु धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित करने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तथा जहां विशेष विधि प्रभाव में हो वहां पर सामान्य विधि के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिये धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय की धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील में स्थगन जारी करके निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई कानूनी प्रावधान नही होने के कारण आवेदन मेन्टेनेबल नही होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

4. हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी।

5. वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, चुनौतीग्रस्त आदेश सन् 2014 के आवेदन पर आधारित है। प्रकरण तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के यहां दर्ज होकर नोटिस जारी किये गये। अपीलांट ने नोटिस के जवाब में अंकित किया था कि जहां से डोटेड रास्ता बताया गया है वहां पर कोई चालू रास्ता नहीं है। प्रभावित खातेदारान के पूर्व से ही एक अन्य रास्ता लगता है जो कि मौके पर चालू है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2017 को अपास्त किया जावे।

वकील रेस्पों. ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि, रास्ते के प्रकरण में नियमानुसार सुखाचार देखे जाते हैं। ग्राम पंचायत को रास्ता काटने अथवा बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले के नक्शे में

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

मौके पर डोटेड लाईन से रास्ता दर्शाया गया है। उसी अनुसार रास्ता काटे जाने के आदेश तहसीलदार द्वारा दिये गये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट हैं–

   - अपीलांट के आवागमन हेतु मौके पर पूर्व से एक अन्य रास्ता मौजूद है। इसलिए तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा 251 के तहत की गई कार्यवाही सुखाचार अथवा सुखाधिकार की श्रेणी मे नहीं आती है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट **स्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2017 खारिज किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक **23 जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर